तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-4-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी पेशकार सरकार उपस्थित अन्तिम बहस सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली ली गई वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया निर्णयानुसार अन्तिम डिक्री जारी की गई पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	[illegible] 298 7/5/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

12/दावा/2016
दायरा दिनांक 01.03.2016

पीठासीन अधिकारी
प्रमोद कुमार(RAS)

बाबूलाल आ0 चतरा जाति तेली निवासी ग्राम जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)
—वादी—

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़
—प्रतिवादी—

वादी पत्र धारा 88,89,91 राज0टी0एक्ट
वाद बाबत खातेदारी घोषणा
वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0

निर्णय दिनांक 28.04.2021

वादी ने अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0टी0एक्ट में वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त सन 1995 से 2015 तक ग्राम जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के खाता संख्या 97 पर्चा सं. 97 की कृषि भूमि खसरा नं0 365 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नं0 377 रकबा 2.53 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 3.53 हैक्टेयर स्थित है जो सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता चतरा आ0 नाथू जाति तेली निवासी ग्राम जाड़ला तहसील के0पाटन जिला बून्दी के रहने वाले थे और वादी के पिता द्वारा भूमिहीन काश्तकार होने के कारण उनके द्वारा राज0 उपनिवेश चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन नियम 1957 के तहत वादी के पिता ने खसरा नं0 221/3 रकबा 5 बीघा व खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा वाके ग्राम जाड़ला तहसील के0पाटन को आवंटन कराने बाबत आवंटन आवेदन पत्र आवंटन समिति मुकाम लाखेरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। वादी के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवंटन समिति लाखेरी व राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात वादी के पिता चतरा को ग्राम जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 221/3 रकबा 5 बीघा व खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

226/1 रकबा 15 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा का आवंटन दिनांक 27.11.1981 को आवंटन परामर्श दात्री समिति मुकाम लाखेरी द्वारा आवंटन आदेश पारित किया गया था। आवंटन शुदा कृषि भूमि का कब्जा राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से रूबरू गवाहान वादी के पिता चतरा आ0 नाथू को सुपुर्द किया गया था। वादी के पिता उनके जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और वादी के पिता चतरा का स्वर्गवास होने के पश्चात वादी बतौर वारिस काबिज काश्त के रूप चला आ रहा है। आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1981 का अमल राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा नही किया गया आवंटन शुदा भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी के रूप में दर्ज चली आ रही थी। बन्दोबस्त सन 1995 –2015 के तहत बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा न0 221/3 रकबा 5 बीघा के नए खसरा नं0 365 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नं0 226/2 रकबा 15 बीघा के नए खसरा नं0 377 रकबा 2.53 हैक्टेयर कायम किए गए जो वर्तमान मे सिवायचक लगानी दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से बार–बार निवेदन करने पर भी आवंटनशुदा कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में जानबूझकर अमल नही किया गया और अन्त में निवेदन किया गया कि वादी के पिता चतरा आ0 नाथू को आवंटित कृषि भूमि खसरा नं0 221/3 रकबा 5 बीघा व खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा वाके ग्राम जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि का आवंटन आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाकर आवंटी के वारिसान वादी को कृषक खातेदार/गैर खातेदार घोषित किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी पैरोकार सरकार जवाब दावा पेश किया गया पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में आंशिक स्वीकार करते हुए खसरा नं0 377 रकबा 2.53 हैक्टेयर मुताबिक राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है खसरा नं0 377 रकबा 2.53 हैक्टेयर वाके ग्राम जाड़ला मिसल बन्दोबस्त 1995 से 2015 के अनुसार पुराने खसरा नं0 226 से कायम किए गए है सरकार पैरोकार द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार आंवटन मिसल नं0 57/81 से खसरा नं0 221/3 रकबा 5 बीघा, खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 27.11.1981 आंवटन परामर्श कमेटी मुकाम लाखेरी द्वारा आंवटी चतरा आ0 नाथू साकिन जाड़ला को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:53:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

आंवटन की गई थी। आंवटी की मृत्यु के पश्चात आंवटी के वारिस पुत्र बाबूलाल आ0 चतरा का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में आंवटन परामर्श दात्री मुकाम लाखेरी का आदेश दिनांक 27.11.1981 की सत्यापित प्रति, राजस्थान उपनिवेश्न (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन संबंधी) नियम 1957 के अन्तर्गत भूमि आवंटन के लिए आवेदन – पत्र की सत्यापित प्रति, उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटन संबंधी रिपोर्ट पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की सत्यापित प्रति, प्रतिवादी को अन्तर्गत धारा 80 जाब्ता दिवानी का दिया गया नोटिस प्रति मय रजिस्टर्ड रसीद ए.डी. नकल जमाबन्दी खाता संख्या 97 भू प्रबन्ध विभाग सन 1995–2015, मिलान क्षेत्रफल सन 1995–2015 नकल जमाबन्दी सम्वत 2061 ग्राम जाड़ला पेश किए है। एंव कब्जे बाबत खसरा परिवर्तन (पी–14) सम्वत् 2039, खसरा परिवर्तन (पी–14) सम्वत 2047, सम्वत 2048, सम्वत 2049, सम्वत 2058 पेश किए है। एवं मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वंय का साक्ष्या शपथ पत्र पेश किया है।

वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वाद वर्णित आराजी वादी के पिता चतरा आ0 नाथू कौम तेली साकिन जाड़ला को आवंटन परामर्श दात्री के द्वारा दिनांक 27.11.1981 को आवंटन की गई थी। आवंटी का व आवंटी की मृत्यु के पश्चात आवंटी के पुत्र वादी का आवंटन शुदा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटन शुदा कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में आज दिनांक तक अमल नही किया गया है। अतः आवंटन शुदा कृषि भूमि खसरा नं0 221/3 रकबा 5 बीघा व खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं0 365 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा न0 377 रकबा 2.53 हैक्टेयर कृषि भूमि को वाके ग्राम जाड़ला का राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाकर वादी को खातेदार /गैरखातेदार कृषक घोषित किया जावें। सरकार पैरोकार ने वादी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया गया कि खसरा नं0 221/3 वर्तमान खसरा नं0 365 पर वादी का कब्जा काश्त नही है। खसरा नं0 377 रकबा 2.53 हैक्टेयर उसके पुराने खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा आवंटन होना व आवंटी के बाबूलाल आ0 चतरा कब्जा काश्त होना स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:17:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (कृषी)

Scanned by CamScanner

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन परामर्श दात्री समिति मुकाम लाखेरी के आदेश दिनांक 27.11.1981 से स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजी खसरा नं0 221/3 रकबा 5 बीघा खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा कृषि भूमि वाके ग्राम जाड़ला आवंटी चतरा आ0 नाथू कौम तेली साकिन जाड़ला को आवंटन की गई थी वादी द्वारा प्रस्तुत पी –14 की नकलो से स्पष्ट है कि खसरा नं0 226 जिसके वर्तमान खसरा नं0 377 रकबा 2.53 हैक्टेयर पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त होना जाहिर होता है जवाब सरकार में भी कब्जा होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, कि आंवटी चतरा आ0 नाथू कौम तेली साकिन जाड़ला को आवंटन की गई कृषि भूमि खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं0 377 हैक्टेयर वाके ग्राम जाड़ला का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाकर आवंटी मृतक चतरा आ0 नाथू कौम तेली साकिन जाड़ला के समस्त वारिसान को गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदांई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

आज अदालत .....उपंखण्ड अधिकारी................................ मुकाम..............लाखेरी ....
व इजलास..........प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)...
1.बाबू लाल आ0 चतरा जाति तेली निवासी............................बनाम....1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार
जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

(वादी) (प्रतिवादीग)

दावा बाबत............88,89,91 आर टी एक्ट ....

मुकदमा नम्बर.............12/दावा/2016..सन..................................
................यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू............हमरे..व हाजिरी

..श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट...मिनजानिब मुद्दई रूबरू............पैरोकार सरकार ...
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। कि आंवटी चतरा आ0 नाथू कौम तेली साकिन जाड़ला को आवंटन की गई कृषि भूमि खसरा नं0 226/1 रकबा 15 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं0 377 हैक्टेयर वाके ग्राम जाड़ला का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाकर आवंटी मृतक चतरा आ0 नाथू कौम तेली साकिन जाड़ला के समस्त वारिसान को गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं आवंटन भूमि की वक्त आवंटन कीमतन राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावें। ....निज...मुबलिग...
....बाबत,...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....
.का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...28 माह ..04.. सन.....2021.
..............को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फी[illegible]नर		
6.फीस कमिश्नर			6.[illegible]		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.[illegible]		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner